# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला दूदू

**बइजलास :– गोपाल परिहार ( आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या 03/2021**

आम जनता कांस्या तहसील फागी जरिये

1. वत्सराज पुत्र भवंर लाल जाति जाट निवासी कॉस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू
2. हनुमान पुत्र स्व. काना जाति नाई निवासी कांस्या तहसील फागी हाल आबाद प्रतापपुरा तहसील मालपुरा टोंक
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. झूथा जाति जाट निवासी कांस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू
4. किशनलाल पुत्र हरिनारायण दत्तक पुत्र स्व. तेजाराम जाति जाट निवासी कांस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू
5. रामेश्वर पुत्र स्व. कल्याण स्वामी जाति वैष्णव निवासी कांस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू
6. रमेश चन्द पुत्र श्री वत्सराज जाति जाट निवासी कांस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू

(प्रार्थी)

बनाम

सुवा पुत्र बख्तावर जाति नाई (मृतक)

1. कैलाश पुत्र स्व. सुवा जाति नाई निवासी कांस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू
2. चांद देवी बेवा सुवा जाति नाई निवासी कांस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू (मृतक)
3. कमला देवी पुत्री स्व. सुवा पत्नी स्व. तेजाराम ग्राम कांस्या तहसील फागी हाल आबाद ग्राम डिडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4. गीता देवी पुत्र स्व. सुवा पत्नी राधेश्याम जाति नाई निवासी कांस्या तहसील फागी हाल आबाद नेणस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0
5. मेनेजर जे.सी.सी. बैंक शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0

(अप्रार्थीगण)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार फागी आवटंन आदेश दिनांक 27.5.1961**

1. श्री अर्जुन लाल चौधरी विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण
2. श्री प्रमोद जैन विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

**निर्णय** **दिनांक :– 23.9.2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मैन्दवारा के सिवायक भूमि ख0न0 317, 318, 319 कुल रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा ग्राम पंचायत में मैन्दवारा की ढाणी के नाम से जाना जाता था तथा कांस्या रेवेन्यू रिकार्ड में सन् 1986 में बनाया गया था। सन् 1986 में अलग से गांव घोषित किया गया था। नियम 1957 की धारा 101 के अन्तर्गत उक्त आवटंन किया गया था अस्थाई काश्त के लिए आवटंन किया गया था। अप्रार्थी 1 ल0 4 के पिता/पति के आवंटन नियमो के विरूद्व हुआ है। आवटंन से पूर्व नियमानुसार उदघोषणा जारी नही की गई न ही विपक्षीगण के पिता व पति के भूमिहीन होने तथा भूमि के खाली होने बावत जॉच नही की गई न नही आवंटन सलाहकार समिति को सूचना दी गई थी। आवटंन में निर्णय लेते समय आवंटन समिति में कोरम का अभाव था क्योकि आवंटन सलाहकार समिति में 5 सदस्य होते है समिति में सरपंच तहसीलदार व प्रधान ही मौके पर मौजूद थे इसके अलावा विधानसभा का सदस्य व अनूसूचित जाति का सदस्य का अभाव था फिर भी आवंटन आदेश पारित कर दिया है। इसलिए आवटंन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवटंन के पश्चात विपक्षीगण को मौके पर कब्जा नही दिया गया था। इसलिए भी उक्त आवटंन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवटंन न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम भूमि का आवटंन किया गया था जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है इसलिए भी उक्त आवटंन निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कृषि भूमि आबादी भूमि के बिल्कुल लगवा में थी जिसका आवटंन नही किया जा सकता है। विपक्षीगण के पिता/पति के बडे भाई स्व. काना पुत्र जुवारा के पास लगभग 60 बीघा भूमि थी आगे चलकर अप्रार्थी संख्या 1 को 1/2 हिस्से की भूमि प्राप्त कर लिया था इस प्रकार किया गया आवटंन निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षीगण के पिता/पति बोनाफायड एग्रीकलचरलिस्ट नही है। आवटंन भूमि ग्रामवासियो के सार्वजनिक उपयोग उपभोग में काम में आती थी जिस पर ग्रामवासी अपने पशुओं को चराने के काम में लेते थे अप्रार्थी सख्या 1 ने पशुओ को चराने से मना किया और कहा कि उक्त भूमि मेरे अलोटेड भूमि है तब प्रार्थीगण को इसकी जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने नकले निकलवाकर उक्त आवटंन आदेश के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1961 बाबत मिसल न0 1034/61 ख0न0 317, 318, 319, किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कांस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई एवं अधिनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का आवटंन अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम नही हुआ था। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी के पिता की क्रय की हुई भूमि है। उक्त भूमि पर क्रय दिनांक से अप्रार्थी के पिता काबिज काश्त थे एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 5 की तरफ से श्री रामकुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 की तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 की दौराने मुकदमा मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिशान पूर्व से ही रिकार्ड पर है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र 14(4) में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि मैन्दवास के सिवायक भूमि ख0न0 317, 318, 319 कुल रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा ग्राम पंचायत में मैन्दवास की ढाणी के नाम से जाना जाता था तथा कांस्या रेवेन्यू रिकार्ड में सन् 1986 में बनाया गया था। सन् 1986 में अलग से गांव घोषित किया गया था। नियम 1957 की धारा 101 के अन्तर्गत उक्त आवटंन किया गया था अस्थाई काश्त के लिए आवटंन किया गया था। अप्रार्थी 1 ल0 4 के पिता/पति के आवंटन नियमो के विरूद्व हुआ है। आवटंन से पूर्व नियमानुसार उदघोषणा जारी नही की गई न ही विपक्षीगण के पिता व पति के भूमिहीन होने तथा भूमि के खाली होने बाबत जॉच नही की गई न नही आवंटन सलाहकार समिति की सूचना दी गई थी। आवटंन में निर्णय लेते समय आवंटन समिति में कोरम का अभाव था क्योकि आवंटन सलाहकार समिति में 5 सदस्य होते है समिति में सरपंच तहसीलदार व प्रधान ही मौके पर मौजूद थे इसके अलावा विधानसभा का सदस्य व अनूसूचित जाति का सदस्य का अभाव था फिर भी आवंटन आदेश पारित कर दिया है। इसलिए आवटंन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवटंन के पश्चात विपक्षीगण को मौके पर कब्जा नही दिया गया था। विपक्षी के पिता/पति के पास पूर्व से खातेदारी भूमि होने के बावजूद भी तथ्यों को छिपाते हुए जो आवटंन करवाया है वह आवटंन नियमो के विपरीत है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सुवा पुत्र बख्तावर जाति नाई का आवटंन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि सिवायचक घोषित की जावे। अपनी लिखित बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्तो की और ध्यान आकर्षित किया गया।

1. आरआरडी 1978 पेज 54 से 60
2. आरआरडी 1988 पेज 272 से 276
3. आरआरडी 1994 पेज 195 से 197
4. आरआरडी 1980 पेज 23 से 24

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ख0न0 317, 318, 319 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के पिता की क्रय शुदा आराजी है। जिसकी पुष्टि राजस्व रिकॉर्ड नामा. सं. 23 से होती है। नामान्तकरण में लिखा हुआ है कि ठाकुर साहब देवी सिंह पुत्र ईसर सिंह राजपूत ने सुवा पुत्र बख्तावर नाई को 300 रूपये में बैचान किया है। जब से लेकर आज दिनांक तक अप्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसकी तायद खसरा गिरदावरी से होती है। प्रार्थीगण में राजनैतिक द्वेषता से यह प्रार्थना पत्र 50 वर्ष से ज्यादा समय व्यतित होने के बाद पेश किया है। प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम भी पेश नही है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह बिन्दू उठाये है कि अप्रार्थी के पिता/पति के नाम गलत आवटंन हुआ है। अप्रार्थीगण के पिता/पति के भूमिहीन होने तथा भूमि के खाली होने की जॉच नही की गई। उदघोषणा की प्रतिलिपि पंचायत मुख्यालय पर चस्पा नही की गई। आवटंन समिति में कौरम का अभाव रहा है। आवटंन के पश्चात अप्रार्थीगण को कब्जा नही दिया गया है। प्रार्थीगण उक्त बिन्दूओ के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण के पिता/पति सुवा पुत्र बख्तावर नाई को नियमो के विपरीत आवटंन किया हो या आवटंन के समय सुवा पुत्र बख्तावर के नाम पूर्व से रिकॉर्ड में अन्य खातेदारी भूमि रही हो। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर मूंग, चना, सरसो की फसल काश्त होना अंकित है। इसलिए प्रार्थीगण यह कथन भी साबित नही होता है कि अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र आवटंन आदेश दिनांक 27.5.1961 के विरूद्व लगभग 50 वर्ष पश्चात यह प्रार्थना पत्र धारा 14(4) का पेश किया है। आवंटन के समय से वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर आदिनांक तक यथावत है। ऐसी स्थिति में 50 वर्ष के ज्यादा समय पश्चात आवटंन निरस्त किया जाना विधि सम्मत नही समझते है। इसलिए आराजी ख0न0 317, 318, 319 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि ग्राम कांस्या तह0 फागी का सुवा पुत्र बख्तावर नाई के नाम किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1961 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.9.2024को सरे इजलास सुनाया गया।

23/09/24

(गोपाल परिहार)
अति. जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner